


संचिका सं०-10/यो०-1-01/2015

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-515(10), दिनांक-11.08.2016 की कंडिका-5 एवं आवंटनादेश संख्या-5(10)ब, दिनांक-05.09.2016 की कंडिका-4 में अंकित "बी०टी०सी० फॉर्म संख्या-46" के स्थान पर "बी०टी०सी० फॉर्म संख्या-42" पढ़ा जाये।

2. शेष बातें यथावत रहेगी।


(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक:-10/यो०-1-01/2015

579(10)/स्वा०, पटना, दिनांक:- 21/09/16

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- भारत सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा संख्या-510-D, निर्माण भवन नई दिल्ली को उनके पत्रांक-G.27017-18/2015 NHM Finance/3, दिनांक-24.02.2016 एवं अन्य के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं प्रशाखा-10 के सभी सहायक/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

संचिका सं०-10/यो०-1-01/2015 - 05(10)थ
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
सेवा में,

अवर सचिव,
-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 05-9-2016

विषय:-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत RCH Flexible Pool एवं Health System Strengthening Under NRHM तथा National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश की बकाये राशि 39,35,47,500/- (उनचास करोड़ पैंतीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ) रुपये को नवीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित्त आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा (60:40) के अनुपात में अंशदान किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत्यादेश संख्या-1242(10), दिनांक-17.03.2016 से केन्द्रांश की विमुक्त राशि 122.98 करोड़ रुपये के साथ अनुपातिक राज्यांश की राशि 81,98,66,667/- रुपये में से उपलब्ध शेष उपबंध के आलोक में 42,63,19,166/- रुपये कुल (1,22,98,00,000+42,63,19,166)=1,65,61,19,166/- रुपये राज्य स्वास्थ्य समिति को स्वीकृत करते हुए आवंटनादेश संख्या-40(10)ब, दिनांक-17.03.2016 से राशि दे दी गई । तदावलोक में बकाया राशि 81,98,66,667-42,63,19,166=39,35,47,500/- रुपये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यांश मद में उपबंधित राशि से देने हेतु क्ति विभाग की सहमति के आलोक में नवीकृत करते हुए तदसंबंधी निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-515(10), दिनांक-11.08.2016 के क्रम में एतद् द्वारा 39,35,47,500/- (उनचास करोड़ पैंतीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ) रुपये व्यय निमित्त राज्य स्वास्थ्य समिति को आवंटित किया जाता है ।

2. राज्यांश की राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में अधोलिखित विभिन्न उपशीर्षों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी:-


(i) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-0302-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-विपत्र कोड-P2210037960302, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-(31 04)-सहायक अनुदान-वेतन मद से 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपये एवं (31 06)-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद से 20,00,00,000/- (बीस करोड़) रुपये अर्थात् कुल 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रुपये मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

(ii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-0301-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-विपत्र कोड-P2210037890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-(31 06)-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद से 9,35,47,500/- (नौ करोड़ पैंतीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता में सुलभ करायेंगे । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे।
5. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भी भेजेंगे । साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।
6. यह आवंटनादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों एवं वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी ।
8. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(शेखर चन्द्र वर्मा) 02/11/2016
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-10/यो0-1-01/2015-.....05(10)9/स्वा0, पटना, दिनांक- 05-9-2016

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- भारत सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा संख्या-510-D, निर्माण भवन नई दिल्ली को उनके पत्रांक-G.27017-18/2015 NHM Finance/3, दिनांक-24.02.2016 एवं अन्य के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं प्रशाखा-10 के सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव। 02/11/2016

केन्द्रांश (2016-17)-

क्र0	विपत्र कोड	उपबधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	शेष राशि	अभ्युक्ति
1	P2210012000209	(31 04) 2,00,00,00,000 (31 06) 8,00,00,00,000	-	-	-	
2	P2210017890201	(31 04) 50,00,00,000 (31 06) 1,50,00,00,000	-	-	-	
3	P2210017960219	(31 04) 4,18,70,000 (31 06) 20,00,00,000	-	-	-	
4	P2210031100203	(31 04) 2,12,99,26,000 (31 06) 8,00,00,00,000	-	-	-	

5	P2210037890201	(31 04) 1,41,87,04,000 (31 06) 3,00,00,00,000	-	-	-	
6	P2210037960202	(31 04) 10,00,00,000 (31 06) 30,00,00,000	-	-	-	
Total-		27,19,05,00,000	-	-	-	

राज्यांश (2016-17)

क्र०	विपत्र कोड	उपबधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	शेष राशि	अभ्युक्ति
1	P2210012000309	(31 04) 28,24,50,000 (31 06) 3,70,00,00,000	-	-	28,24,50,000 3,70,00,00,000	
2	P2210017890301	(31 04) 5,00,00,000 (31 06) 10,00,00,000	-	-	5,00,00,000 10,00,00,000	
3	P2210017960319	(31 04) 2,79,14,000 (31 06) 10,00,00,000	-	-	2,79,14,000 10,00,00,000	
4	P2210031100303	(31 04) 20,00,00,000 (31 06) 5,00,00,00,000	-	-	20,00,00,000 5,00,00,00,000	
5	P2210037890301	(31 04) 2,91,36,000 (31 06) 10,00,00,000	-	9,35,47,500	2,91,36,000 64,52,500	
6	P2210037960302	(31 04) 10,00,00,000 (31 06) 20,00,00,000	-	10,00,00,000 20,00,00,000	0 0	
Total		9,88,95,00,000	-	39,35,47,500	9,49,59,52,500	

(Signature)
सरकार के संयुक्त सचिव। 05/9/2016

05 (10) य

05-9-2016

वित्त विभाग से
अनौपचारिक
रूप से विमर्शित

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक- 11/08/2016

विषय:-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत RCH Flexible Pool एवं Health System Strengthening Under NRHM तथा National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश की बकाये राशि 39,35,47,500/- (उनचालिस करोड़ पैंतीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ) रुपये को नवीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराने की स्वीकृति ।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) एक चालू योजना है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात में हुये परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य स्वास्थ्य समिति को अब केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि (60:40) के अनुपात में दिया जाना है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रांश मद् में कुल उपबंधित राशि 2719.05 करोड़ रुपये है, जिसका अनुपातिक 40% यानि कुल 1812.70 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में अनुमान्य होता है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश मद् में प्रर्याप्त राशि नहीं रहने के कारण कुल 39,35,47,500/- (उनचालिस करोड़ पैंतीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ) रुपये वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था ।

2. राज्य स्वास्थ्य समिति से प्राप्त पत्रांक-548, दिनांक-25.04.2016 एवं स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-1242(10), दिनांक-17.03.2016 एवं आवंटनादेश संख्या-40(10)ब. दिनांक-17.03.2016 के क्रम में राज्यांश मद् की वैसी राशि जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित नहीं किया जा सका था, उसे नवीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से निकासी करने की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त है । तदनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत RCH Flexible Pool एवं Health System Strengthening Under NRHM तथा National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्यांश की बकाये राशि 39,35,47,500/- (उनचालिस करोड़ पैंतीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ) रुपये को नवीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3. राज्यांश की राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में अधोलिखित विभिन्न उपशीर्षों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी:-

(i) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-0302-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-विपत्र कोड-P2210037960302, पी०एफ०एम०एस० कोड-9156, विषय शीर्ष-(31 04)-सहायक अनुदान-वेतन मद् से 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपये एवं (31 06)-सहायक अनुदान-वेतनादि के

अलावा मद् से 20,00,00,000/- (बीस करोड़) रुपये अर्थात् कुल 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रुपये मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

(ii) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-0301-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-विपत्र कोड-P2210037890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-(31 06)-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद् से 9,35,47,500/- (नौ करोड़ पैंतीस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी ।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता में सुलभ करायेंगे । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे ।

6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भी भेजेंगे । साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों एवं वित्त विभाग के परामर्श (पृ0-19/टि0) के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केन्द्र प्रायोजित चालू योजना होने के कारण एतदसंबंधी प्रतिवर्ष प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है ।

10. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी ।

11. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

12. एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्पाल के आदेश से,

(शेखर चन्द्र वर्मा)


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-10/यो0-1-01/2015-⁵¹⁵.....(10) /स्वा0, पटना, दिनांक- 11/8/2016

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- भारत सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा संख्या-510-D, निर्माण भवन नई दिल्ली को उनके पत्रांक-G.27017-18/2015 NHM Finance/3, दिनांक-24.02.2016 एवं अन्य के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं प्रशाखा-10 के सभी सहायक/आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव।

~~444~~
2547